

**प्रेस नोट-जनपद शाहजहाँपुर दिनांक 23.02.2023**

**थाना कटरा पर माल विनिष्ठिकरण टीम द्वारा वर्ष 2018 व 2019 के लम्बित माल सहित 2022 मे पंजीकृत हुए अवैध शराब के 138 अभियोगो की कुल 24855 लीटर अवैध शराब नियमानुसार की गयी नष्ट ।**

श्री एस आनन्द, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार, श्री संजीव कुमार बाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तिलहर के कुशल निर्देशन में मा० जे०एम० तिलहर महोदय के आदेश के अनुपालन में कुल 138 अभियोगों में कुल 24855 ली० अवैध शराब थाना कटरा के प्रांगण में विनिष्ठीकरण किया गया ।

थाना कटरा पर वर्ष 2018 व वर्ष 2019 के एक-एक लम्बित माल सहित वर्ष 2022 मे पंजीकृत हुए आबकारी के कुल 138 अभियोगों में बाद परीक्षण आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किये जा चुके हैं जिसके सम्बन्ध मे नियमानुसार उपरोक्त अभियोगो से सम्बन्धित अवैध शराब थाना मालखाने में रखी होने के कारण थाना परिसर में दुर्गन्ध आ रही थी तथा उसमें गैस बनने से वातावरण प्रदूषित हो रहा था तथा संक्रमण फैलने की आशंका के दृष्टिगत मालो के नियमानुसार विनिष्ठीकरण हेतु प्रभारी निरीक्षक कटरा द्वारा सिविल जज (जू०डि०) जे०एम० तिलहर शाहजहाँपुर को रिपोर्ट प्रेषित की गयी जिसके अनुक्रम में मा० न्यायालय जे०एम० तृतीय जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.02.23 के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था स्पेशल रिट पिटीशन संख्या 2745/ 2020 सुन्दर भाई अम्बालाल देशाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात राज्य 2020 (10)ए०सी०सी०-283 में पारित निर्णय के अनुक्रम में माल निस्तारण के सम्बन्ध में द०प्र०सं० की धारा 451/457 के अन्तर्गत दिशा निर्देशों जिनमें आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मालों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त उनका निस्तारण किये जाने का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली के आदेश सं० – बीजेड वाचक 31(03/21) दिनांक 26.11.21 के द्वारा मालों के निस्तारण के सम्बन्ध में अभियान भी चलाया जा रहा है ।

विनिष्ठिकरण से सम्बन्धित आदेश प्राप्त होने पर उक्त आदेश के अनुक्रम में नियमानुसार कमेटी गठित कर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर पर आज दिनांक 23.02.2023 को वर्ष 2018 व 2019 के एक-एक लम्बित माल सहित वर्ष 2022 पंजीकृत कुल 138 अभियोगों से सम्बन्धित मालों प्लास्टिक की पिपिया / प्लास्टिक बोतल / काँच की बोतल व बीयर की बोतलों में रखी हुई अंग्रेजी शराब 18009 लीटर, देशी शराब 3840 लीटर व कच्ची शराब 1360 लीटर व बीयर 1646 लीटर कुल 24855 लीटर अवैध शराब को थाना कटरा परिसर पर प्रतिवार रखवाकर/छिडकवाकर रोड रोलर के क्रश करवाकर कमेटी के सदस्यों के समक्ष बीडियोग्राफी बनवाकर नियमानुसार विनिष्ठिकरण किया गया है ।

**कुल आबकारी अभियोग-138**

**कुल विनिष्ठिकरण की गयी शराब – 24855 ली०**